

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 114 / 2025

1. कुलदीप कुमार पि० बलराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला
2. विनोद कुमार हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

- 1 बलराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 2 बलवन्ती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 3 सुनिता पुत्री बलराम पत्नी चन्द्रशेखर जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।


— प्रतिवादीगण —

डिक्री

दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न० 5 एजी जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 49/40 में 6.1840 हे० आराजी में 2/3 हिस्सा के वादीगण को ब०हि०व के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक न० 5 एजी के खाता स० 49/40 में से प्रतिवादी स० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 21/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
पटन सहायक कलक्टर टिब्बी।